न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

एम0 आर0 ए0 वाद सं0–30 / 2011–12

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़–बनाम–लक्ष्मण दास गंगवानी

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
01	02	03
	यह वाद विज्ञ उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय से सुनवाई एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ है। यह वाद मौजा खपराजोला जमाबंदी नं0–35 / 31 के दाग सं0–559, के अंतर्गत रकवा 07बी0–00क0–00धूर भूमि लक्ष्मण दास गंगवानी, पाकुड़ के नाम से कायम अवैध जमाबंदी को रद्द करने के लिए निम्न न्यायालय के वाद सं0–स्था0रा0वि0 वाद सं0–81 / 98–99 से प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि आनावादी खाते की है। विपक्षी का स्टेटमेंट है कि उक्त जमीन उन्हें पुर्व प्रधान से मौजा खपराजोला में प्लॉट सं0–559 में 07बी0–10क0–00धूर से प्राप्त है, एवं उस पर उपायुक्त, दुमका से 1963 में माइनिंग लीज प्राप्त है किन्तु विपक्षी द्वारा ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत बंदाबस्ती पट्टा एवं माइनिंग लीज संलग्न नहीं किया है। SPT Act के धारा–27 के अनुरूप ग्राम प्रधान के बंदोबस्ती प्रस्ताव पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है अन्यथा बंदोबस्ती अवैध मानी जायेगी। इस वाद में विपक्षी श्री लक्ष्मण दास गंगवानी की मुत्यु दिनांक–26.03.2001 में होने के पश्चात श्री प्रेमचंद गंगवानी पक्षकार बने हैं किन्तु उनके द्वारा भी प्रश्नगत जमीन के संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि है जिस पर लगभग वाद के 23 वर्षो की कार्रवाई में विपक्षी द्वारा न तो कोई कागजात प्रस्तुत किया गया है न ही न्यायालय में हाजरी है ऐसी परिस्थिति में वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः मौजा खपराजोला जमाबंदी सं0–35 / 31 के दाग सं0–559 रकवा 07बी–00क–00धूर भूमि की जमाबंदी श्री लक्ष्मण दास गंगवानी के नाम से विलोपन हेतु आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी को भेजें। लेखापित संशोधित। (हस्ताक्षर) 2.8.2023 अपर समाहर्त्ता, पाकुड़। (हस्ताक्षर) 2.8.2023 अपर समाहर्त्ता, पाकुड़।	

Digitally signed by JEMES SURIN
Date: 2024.07.18 14:47:23 +05:30
Location: 192.168.45.62